न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या 45/2024

बउनवान

तृप्ता कुमारी आयु 48 साल पुत्री श्री विनोद कुमार पत्नि श्री लोकेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी बस स्टेण्ड मॉगरोल तह० मॉगरोल जिला बारां — अपीलांट

बनाम

1. रामकिशन उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री अमरलाल जाति नायक निवासी भोई मोहल्ला, मोती महाराज के मंदिर के पास छावनी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०
2. राज० सरकार जर्ये तहसीलदार मॉगरोल — रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11—09—2024 अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल बमुकदमे प्रकरण संख्या 2/2024 रामकिशन बनाम तृप्ता कुमारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट

न्यायालय जिला कलेक्टर
बाराँ (राज०)

उपस्थिति :— 1. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री सत्येन्द्र शर्मा अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 22.08.2025

अपीलान्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो० कम 1 ने एक प्रार्थना पत्र माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, बारां को दिनांक 11/10/2023 को प्रस्तुत करके कथन किया कि खाता संख्या 46 मे दर्ज खसरा नंबर 57 रकबा 0. 42 हे०, ग्राम इन्द्राहेडी तहसील मॉगरोल मे दर्ज आराजी का रेस्पो० कम 1 खातेदार है। उक्त आराजी पर तृप्ता कुमारी अपीलान्ट काश्त करने नही दे रही है और काश्त करने में बाधा पहुंचा रही है। उक्त प्रार्थना पत्र माननीय अति० जिला कलक्टर बारां द्वारा तहसीलदार मॉगरोल को प्रतिप्रेषित किया और तहसीलदार मॉगरोल ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट लेकर प्रकरण को 183 बी मे दर्ज करके दिनांक 11/09/2024 को निर्णय पारित कर दिया जो कि विधि, न्याय एव संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा त्रुटिपूर्ण एंव अवैद्य है। रेस्पो० कम 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2014 डी एन जी पेज 198 बउनवान श्रीकृष्ण बनाम हरबख्श जो कि माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त का अधिनस्थ न्यायालय ने न तो अवलोकन किया ना ही उसे अपने निर्णय मे स्थान दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त को दरकिनार करते हुए निर्णय पारित किया है जो कि विधि विरूद्ध है और प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पो० कम 1 के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे और ना ही हल्का पटवारी इन्द्राहेडी द्वारा अपनी रिपोर्ट में कहीं यह कथन नहीं किया है कि रेस्पो० कम 1 कब से खसरा नंबर 57 रकबा 0.42 हे0 पर काबिज था और कब उसे वर्णित आराजी से अपीलान्ट द्वारा बेदखल कर दिया गया है। जब तक रेस्पो० कम 1 न्यायालय में यह नहीं बतायेगा कि उसे कब आराजी से बेदखल किया ... बिन्दू पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है और इसी बिन्दू पर माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर का न्यायिक दृष्टान्त था जिसे अनदेखा करके निर्णयपारित किया गया है ... कि सर्वथा त्रुटिपूर्ण एंव अवैद्य है। खाता संख्या 46 खसरा नंबर 57 रकबा 0.42 हेक्टेयर वाके ... इन्द्राहेडी ... रेस्पो० कम 1 ... कभी भी कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.01 12:40:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाराँ (राज०)

निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय 11/09/2024 को निरस्त करने की आज्ञा प्रदान करे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेन्ट जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य पूर्णरूपेण नहीं लिये। अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.ए. सिर्फ खातेदार होना उचित नहीं है। खातेदार का कब्जा था या नहीं। विवादित भूमि खातेदार के खाते कैसे आई यह भी अवगत करवाया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से प्राप्त की गई रिपोर्ट में भी यह अंकित नहीं किया गया है कि रेस्पो0 क्रम 1 के खाते की भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त कबसे है। अपीलांट अपने खाते की आराजी पर ही काबिज काश्त है। रेस्पो0 क्रम 1 के खाते की भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं है। रेस्पो0 क्रम 1 अपने खाते में दर्ज भूमि की आड़ में अपीलांट के खाते की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11/09/2024 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया रेस्पो0 क्रम 1 स्वेच्छा से अपने खाते की आराजी को अपीलांट के मृतक पिता को मुनाफा काश्त पर जुपाता था। उनके फोत होने के पश्चात अपीलांट रेस्पो0 क्रम 1 के खाते की आराजी को अपना बता रही है और अन्य व्यक्ति को रेस्पो0 क्रम 1 के खाते की आराजी को जुपाना चाहती है तथा रेस्पो0 क्रम 1 को उसकी भूमि का कब्जा नहीं सोंप रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त की गई पटवारी रिपोर्ट दिनांक 14.03.2024 से भी रेस्पो0 क्रम 1 के खाते की आराजी पर अपीलांट का काबिज होना साबित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जमाबंदी संवत 2076–79 से स्पष्ट है कि वाके ग्राम इन्द्राहेड़ी की विवादित आराजी खसरा नंबर 57 रकबा 0.42 है. रेस्पोडेन्ट के तनहा खातेदारी में दर्ज है। चूंकि अनुसूचित जनजाति के सदस्य की खातेदारी की भूमि पर अन्य किसी भी व्यक्ति का अवैध कब्जा होने से अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर0 टी0 एक्ट कार्यवाही की जा सकती है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 14.03.2024 के अनुसार "ग्राम इन्द्राहेड़ी की खाता संख्या 46 खसरा नंबर 57 रकबा 0.42 है. भूमि खातेदार रामकिशन पुत्र अमरलाल जाति नायक निवासी छावनी, कोटा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर पास वाले खातेदार तृप्ता कुमारी पुत्री विनोद कुमार जाति ब्राह्मण निवासी मांगरोल का कब्जा होना पाया गया।" ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होना पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.01 12:40:14 IST
Reason: SelfAttested